

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0-2/एम0एम0 (बा0)-181/18-...../एम0, पटना, दिनांक-.....  
प्रेषक,

Web/  
E-mail/whats-  
App

संजय कुमार,  
सहायक निदेशक (मु0)।

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र कुमार,  
Stockist ID No-2602830393,  
जिला-पटना।

विषय:- गलत परिवहन चालान समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा कुल 21 परिवहन चालान का ब्यौरा विभाग को समर्पित किया गया था जिसमें से जाँचोपरांत कुल 09 परिवहन चालानों को अवैध पाया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अपना स्पष्टीकरण दो दिनों के अन्दर समर्पित करें अन्यथा आपके अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा कर दी जाएगी एवं Invalid चालान में उल्लेखित खनिज की मात्रा को शून्य माना जाएगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

E-mail

ज्ञापांक-...../एम0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-जिला खनन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3214...../एम0, पटना, दिनांक- 02/8/18

प्रतिलिपि:- I.T Manager/PMU, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Pratibha*  
2/8

*Pratibha*  
2/8/18

सहायक निदेशक (मु0)

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-2/एम०एम० (बा०)-181/18-...../एम०, पटना, दिनांक-.....

प्रेषक,

Web/  
E-mail/whats-  
App

संजय कुमार,  
सहायक निदेशक (मु०)।

सेवा में,

श्री रामानुज सिंह,  
Stockist ID No-2602830392,  
जिला-पटना।

विषय:- गलत परिवहन चालान समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा कुल 19 परिवहन चालान का ब्यौरा विभाग को समर्पित किया गया था जिसमें से जाँचोपरांत कुल 09 परिवहन चालानों को अवैध पाया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अपना स्पष्टीकरण दो दिनों के अन्दर समर्पित करें अन्यथा आपके अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा कर दी जाएगी एवं Invalid चालान में उल्लेखित खनिज की मात्रा को शून्य माना जाएगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

सहायक निदेशक (मु०)

E-mail

ज्ञापांक-...../एम०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-जिला खनन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सहायक निदेशक (मु०)

ज्ञापांक- 3213...../एम०, पटना, दिनांक- 02/8/18

प्रतिलिपि:- I.T Manager/PMU, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
2/8

  
2/8/18

सहायक निदेशक (मु०)

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0-2/एम0एम0 (बा0)-181/18-...../एम0, पटना, दिनांक-.....  
प्रेषक,

Web/  
E-mail/whats-  
App

संजय कुमार,  
सहायक निदेशक (मु0)।

सेवा में,

श्री राजकुमार शर्मा,  
Stockist ID No-2602830371,  
जिला-पटना।

विषय:- गलत परिवहन चालान समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा कुल 415 परिवहन चालान का ब्यौरा विभाग को समर्पित किया गया था जिसमें से जाँचोपरांत कुल 08 परिवहन चालानों को अवैध पाया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अपना स्पष्टीकरण दो दिनों के अन्दर समर्पित करें अन्यथा आपके अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा कर दी जाएगी एवं Invalid चालान में उल्लेखित खनिज की मात्रा को शून्य माना जाएगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

E-mail

ज्ञापांक-...../एम0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-जिला खनन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3212...../एम0, पटना, दिनांक- 02/8/18

प्रतिलिपि:- I.T Manager/PMU, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
2/8

  
2/8/18

सहायक निदेशक (मु0)

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0-2/एम0एम0 (बा0)-181/18-...../एम0, पटना, दिनांक-.....  
प्रेषक,

Web/  
E-mail/whats-  
App

संजय कुमार,  
सहायक निदेशक (मु0)।

सेवा में,

श्री संजय कुमार,  
Stockist ID No-2602830314,  
जिला-पटना।

विषय:- गलत परिवहन चालान समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा कुल 236 परिवहन चालान का ब्यौरा विभाग को समर्पित किया गया था जिसमें से जाँचोपरांत कुल 19 परिवहन चालानों को अवैध पाया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अपना स्पष्टीकरण दो दिनों के अन्दर समर्पित करें अन्यथा आपके अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा कर दी जाएगी एवं Invalid चालान में उल्लेखित खनिज की मात्रा को शून्य माना जाएगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

E-mail

ज्ञापांक-...../एम0, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-जिला खनन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

ज्ञापांक-.....3211...../एम0, पटना, दिनांक- 02/8/18

प्रतिलिपि:- I.T Manager/PMU, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
218

  
218/18

सहायक निदेशक (मु0)



बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0-2/एम0एम0 (बा0)-181/18-...../एम0, पटना, दिनांक-.....  
प्रेषक,

Web/  
E-mail/whats-  
App

संजय कुमार,  
सहायक निदेशक (मु0)।

सेवा में,

श्री दीनानाथ कुमार गुप्ता,  
Stockist ID No-0302830306,  
जिला-औरंगाबाद।

विषय:- गलत परिवहन चालान समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा कुल 53 परिवहन चालान का ब्यौरा विभाग को समर्पित किया गया था जिसमें से जाँचोपरांत कुल 04 परिवहन चालानों को अवैध पाया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अपना स्पष्टीकरण दो दिनों के अन्दर समर्पित करें अन्यथा आपके अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा कर दी जाएगी एवं Invalid चालान में उल्लेखित खनिज की मात्रा को शून्य माना जाएगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

E-mail

ज्ञापांक-...../एम0, पटना, दिनांक-


प्रतिलिपि:-जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


ह0/-

सहायक निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3210...../एम0, पटना, दिनांक- 02/8/18

प्रतिलिपि:- I.T Manager/PMU, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
28

  
28/8/18  
सहायक निदेशक (मु0)